रजिस्ट्री सं. डी.एल.-33004/94 REGD. NO. D.L.-33004/94

केन्द्रीय सचिवालय ग्रन्थालय
CENTRAL SECRETARIAT LIBRARY

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 178] नई दिल्ली, मंगलवार, अप्रैल 26, 1994/वैशाख 6, 1916
No. 178] NEW DELHI, TUESDAY, APRIL 26, 1994/VAISAKHA 6, 1916

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली, 21 अप्रैल, 1994

सा. का. नि. 412(अ)—केन्द्रीय सरकार, धान कुटाई उद्योग (विनियमन) अधिनियम 1958 (1958 का 21) की धारा 19 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के खाद्य और कृषि मंत्रालय (खाद्य विभाग) के आदेश सं. सा. का. नि. 79, तारीख 5 जनवरी, 1965 के उपांतरण में यह निदेश देती है कि पश्चिमी बंगाल राज्य में चावल मिलों के संबंध में उक्त अधिनियम की धारा 5, धारा 8 की उपधारा (3) के खण्ड (ग) और खण्ड (घ) के अधीन उसके द्वारा प्रयोग की जाने वाली शक्तियां:—

(क) उस राज्य के खाद्य निदेशक द्वारा सम्पूर्ण राज्य के लिए ; और

(ख) खाद्य और पूर्ति विभाग के खाद्य और पूर्ति जिला नियंत्रकों द्वारा अपने-अपने जिलों में,

भी प्रयोक्तव्य होगी ।

[स. एम-27011/10/डब्ल्यू बी/92-93-आर०एम०]

प्रमिला ईसर, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF FOOD PROCESSING INDUSTRIES

ORDER

New Delhi, the 21st April, 1994

G.S.R. 412(E).—In exercise of the powers conferred by section 19 of the Rice-Milling Industry (Regulation) Act, 1958 (21 of 1958), and in modification of the Order of the Government of India in the Ministry of Food and Agriculture (Department of Food) number G.S.R. 79 dated the 5th January, 1965, the Central Government hereby directs that the powers exercisable by it under section 5, clauses (c) and (d) of sub-section (3) of section 8 of the said Act, in relation to the rice mills in the State of West Bengal, shall also be exercisable,—

(a) by the Director of Food of that State for the whole State ; and

(b) by the District Controllers of Food and Supplies, Food and Supplies Department, in their respective Districts.

[No. M-27011|10|W.B.|92-93-RM]

PROMILLA ISSAR, Jt. Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Maya Puri, New Delhi-110064 and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054, 1994